

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 12/2025-26

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
11/10/25	आवेदक (1) पियुष आईन्द पिता स्व० अगस्तुस आईन्द (2) शशि भुषण आईन्द पिता स्व० विनसैंट आईन्द जाति मुण्डा, ग्राम सकेया बरटोली, थाना - बसिया, जिला - गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सकेया बरटोली</td><td>22</td><td>67</td><td>79</td><td>0.65 एकड़ में से 0.32½ एकड़ भूमि</td><td></td></tr> </tbody> </table> कुल 0.32½ (साढ़े बतीस डिसमील) चौहद्दी :- उत्तर में - दोमनिक टोप्पो का मकान बारी, दक्षिण में - इमलुस टोप्पो का जमीन, पुरब में - इग्नासियुस टोप्पो का मकान बारी, पश्चिम में - मोनिक मिंज का खरीदगी जमीन। जमीन विक्रेता का विवरणी (1)पियुष आईन्द पिता स्व० अगस्तुस आईन्द (2) शशि भुषण आईन्द पिता स्व० विनसैंट आईन्द जाति मुण्डा, ग्राम सकेया बरटोली, थाना - बसिया, जिला-गुमला जमीन क्रेता का विवरणी पोलिकार्प टोप्पो पिता श्री दोमनिक टोप्पो, जाति उरॉव, ग्राम सकेया बरटोली, थाना - बसिया, जिला-गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता पोलिकार्प टोप्पो पिता श्री दोमनिक टोप्पो, जाति उरॉव, ग्राम सकेया बरटोली, थाना - बसिया, जिला- गुमला से राशि 1,62,000 (एक लाख बारसठ हजार)रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	सकेया बरटोली	22	67	79	0.65 एकड़ में से 0.32½ एकड़ भूमि		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
सकेया बरटोली	22	67	79	0.65 एकड़ में से 0.32½ एकड़ भूमि										

(Handwritten Signature)

अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 529/रा0 दिनांक 10/09/2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव एवं मुण्डा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक (1) पियुष आईन्द पिता स्व0 अगस्तुस आईन्द (2) शशि भुषण आईन्द पिता स्व0 विनसेंट आईन्द जाति मुण्डा, ग्राम सकेया बरटोली, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,62,000 (एक लाख बारसठ हजार)रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित



11.10.25
भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)